मनोहर लाल बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और अन्य

समक्ष जे. एम. टंडन, जे.

मनोहर लाल,-याचिकाकर्ता,

बनाम

वित्तीय आयुक्त, हरियाणा एवं अन्य,-उत्तरदाता

1978 की सिविल रिट याचिका संख्या 1528।

13 अक्टूबर 1983.

विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम (1954 का एक्सएलआईवी) - धारा 24 और 33 - निष्क्रांत भूमि का हस्तांतरण - प्रबंध अधिकारी और अंतरिती के बीच निष्पादित समझौता - अंतरिती को किश्तों में धनराशि का भुगतान करना आवश्यक है - समझौते को फिर से शुरू करने का प्रावधान किसी भी किस्त के भुगतान में चूक पर प्रबंध अधिकारी द्वारा कब्ज़ा - हस्तांतरितकर्ता द्वारा ऐसी चूक करना - प्रबंध अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, लेकिन मामले को मुख्य निपटान आयुक्त को भेजना - आयुक्त ने विलंबित भुगतान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कब्ज़ा फिर से शुरू करने का निर्देश दिया - मुख्य निपटान आयुक्त - क्या ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र था–आदेश–चाहे अधिकार के बाहर हो।

माना गया कि भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रबंध अधिकारी और अंतरिती ने समझौता कर लिया था और किसी भी किस्त के भुगतान में चूक की स्थिति में, भूमि का कब्ज़ा फिर से शुरू किया जा सकता था और समझौते के शर्तों के अनुसार क्रेता को वहां से बेदखल किया जा सकता था। समझौते के संदर्भ में आदेश प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता है। प्रबंध अधिकारी ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। मामला मुख्य निपटान आयुक्त को भेजा गया था, जिन्होंने विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रेता द्वारा विलंबित किस्त जमा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुख्य निपटान आयुक्त के पास क्रेता द्वारा

विलंबित भुगतान जमा करवाने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था और इस कारण से मुख्य निपटान आयुक्त ऐसी अनुमति देने से इनकार भी नहीं कर सकते थे। क्रेता से देय विलंबित किस्त जमा करने की अनुमति देने से इनकार करने का उनका आदेश अधिकारातीत है।

(पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका प्रार्थना करते हुए

वह :-

(ए) कृपया रिट याचिका के उचित निपटान के लिए मामले के रिकॉर्ड तलब किए जाएं;

(बी) उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के विवादित आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की एक रिट इस निर्देश के साथ जारी की जाएगी कि विवाद में क्षेत्र की बिक्री लेनदेन को कानून के अनुसार देय किस्त स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतिम रूप दिया जाए;

(सी) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह भयानक न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भी जारी किया जाएगा;

(डी) इस रिट याचिका की लागत प्रदान की जाए।

आगे प्रार्थना है-

(i) कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, प्रतिवादियों को पूर्व नोटिस जारी करने से छूट दी जा सकती है;

(ii) विचाराधीन क्षेत्र की नीलामी और याचिकाकर्ताओं को उससे बेदखल करने पर रिट याचिका के अंतिम निपटान तक रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. वासु, वकील मनमोहन सिंह।

प्रतिवादी की ओर से जी.एल. बत्रा, सीनियर डी.ए.जी., हरियाणा।

निर्णय

जे. एम. टंडन, जे.

1. मनोहर लाल याचिकाकर्ता ने फरीदाबाद स्थित खसरा नंबर 1838 (1 बीघा 10 बिस्वा) वाली खाली शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था; जिला गुड़गांव, एक पट्टेदार के रूप में। उनकी प्रार्थना को मुख्य निपटान आयुक्त ने 15 अप्रैल, 1966 के संशोधित आदेश के तहत अनुमति दी थी। परिणामस्वरूप उन्हें इस भूमि को रुपये में हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी। 2250/-. याचिकाकर्ता ने रुपये जमा किये। 450/- और शेष रु. 1300/- का भुगतान चार वार्षिक किस्तों में करने पर सहमति हुई थी, जिसमें पहली किस्त 17 अगस्त, 1967 को और शेष तीन किश्तें 3 अक्टूबर, 1966 के समझौते के तहत प्रत्येक आगामी वर्ष की 17 तारीख को देय थीं, (पृ. 2)। समझौते के पैराग्राफ 6 पी.2 में लिखा है:--

"यदि क्रेता नियत तारीखों पर किसी भी किस्त के भुगतान में चूक करेगा या यदि क्रेता किसी भी समय इसमें शामिल किसी भी नियम, शर्तों और अनुबंधों को पूरा करने और पालन करने में असफल या उपेक्षा करेगा और उसकी ओर से पालन किया जाना चाहिए और निष्पादित किया गया है, तो और ऐसे किसी भी मामले में विक्रेता समझौते को निर्धारित करने के लिए तुरंत लिखित रूप में नोटिस देकर स्वतंत्र होगा और उसे परिसर का कब्ज़ा फिर से शुरू करने और क्रेता को बेदखल करने का अधिकार होगा। भुगतान की गई किश्तें जब्त कर ली जाएंगी:"

याचिकाकर्ता ने पहली तीन किस्तों का भुगतान किया लेकिन रुपये के अंतिम भुगतान में चूक कर दी। 450/- जो 17 अगस्त 1970 को देय था। लगभग 1976 में, याचिकाकर्ता ने चौथी और अंतिम किस्त जमा करने की अनुमति के लिए नायब तहसीलदार (बिक्री), गुड़गांव से संपर्क किया। याचिकाकर्ता द्वारा नायब तहसीलदार (सेल्स), गुड़गांव के समक्ष दलील दी गई कि उसने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया था। समझौता। आयुक्त , नई दिल्ली। चौथी किस्त जमा करने की अनुमति के लिए और उन्हें इस उद्देश्य के लिए तहसीलदार (सेल्स), गुड़गांव से संपर्क करने का निर्देश दिया गया: हा ने तहसीलदार (सेल्स) से संपर्क किया लेकिन उनकी प्रार्थना

को समय-बाधित नहीं होने दिया गया। नायब तहसीलदार (सेल्स) ने मुख्य निपटान आयुक्त , (हरियाणा) को सिफारिश की कि याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई चौथी और अंतिम किस्त प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुमति किस्त शेष रहने की अवधि के लिए 41/2 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ दी जाए। देय। मुख्य निपटान आयुक्त (हरियाणा) ने आदेश दिनांक. 16 जून, 1977, (पृ. 4) ने अनुशंसा स्वीकार करने से इंकार कर दिया, भूमि का नियमानुसार निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता ने आदेश पी. 4 के खिलाफ विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम (इसके बाद अधिनियम) की धारा 33 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे वित्तीय आयुक्त ने 10 मार्च, 1978 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था , (पी. 5)). याचिकाकर्ता ने आदेशों पर आपत्ति जताई है। वर्तमान रिट में पी. 4 और पी. 5.

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मुख्य निपटान आयुक्त , हरियाणा को अधिनियम की धारा: 24 के तहत शक्तियां सौंपी गई थीं: प्रत्यायोजित। धारा 24 के तहत शक्ति ने मुख्य निपटान आयुक्त (हरियाणा) को याचिकाकर्ता को बकाया किश्तें जमा करने की अनुमति देने या उसे अस्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं किया। मुख्य निपटान आयुक्त (हरियाणा) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पी.4 को अधिकारेतर होने के कारण रद्द किया जा सकता है। इसी कारण से, अधिनियम की धारा 33 के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश पी.5 को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क मान्य होना चाहिए।

3. भारत के राष्ट्रपति और याचिकाकर्ता की ओर से प्रबंध अधिकारी ने प्रवेश किया था। समझौता दिनांक 3 अक्टूबर, 66, (पृ. 2)। किसी भी किश्त के भुगतान में चूक की स्थिति में भूमि का कब्ज़ा फिर से शुरू किया जा सकता है और क्रेता (याचिकाकर्ता) को ऊपर दिए गए समझौते के पैराग्राफ 6 के अनुसार बेदखल किया जा सकता है। पैरा के अनुसार आदेश. 6 समझौते को प्रबंध अधिकारी द्वारा

पारित किया जा सका। प्रबंध अधिकारी ने कोई आदेश पारित नहीं किया। मामला मुख्य निपटान आयुक्त को भेजा गया , जिन्होंने अधिनियम की धारा 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा विलंबित किस्त जमा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुख्य निपटान आयुक्त को याचिकाकर्ता द्वारा विलंबित भुगतान जमा कराने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण मुख्य निपटान आयुक्त भी ऐसी अनुमति देने से इंकार नहीं कर सकते थे। मुख्य निपटान आयुक्त (पी. 4) द्वारा याचिकाकर्ता से विलंबित किस्त जमा कराने की अनुमति देने से इनकार करने का आक्षेपित आदेश अधिकारातीत है। इस आधार पर इसे रद्द किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित वित्तीय आयुक्त (पी. 5) का आदेश मुख्य निपटान आयुक्त (पी. 4) के आदेश को कायम रख सकता है। भी कायम नहीं रहेगा.

4. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश पी. 4 और पी. 5 को रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को सुनने के बाद और कानून के अनुसार, 3 अक्टूबर 1966 के समझौते के पैरा: 6, (पी. 2) के अनुसार, प्रबंध अधिकारी के लिए मामले को नए सिरे से तय करना खुला होगा। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा